पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1012
दिनांक-05.05.2025

जोन-मध्य/थाना-आलमबाग

- **आत्महत्या के लिये उकसाने वाला वाँछित अभियुक्त और अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण-

वादिनी श्रीमती जानकी देवी पत्नी स्वर्गीय पूरन चंद निवासिनी 281/53 क मवैया सब्जी मंडी निकट सुलभ शौचालय मवैया थाना आलमबाग पोस्ट राजेंद्र नगर लखनऊ ने तहरीरी सूचना दी कि प्रार्थिनी के पुत्र अभिमन्यु लोधी ने 2 वर्ष पूर्व हिंदु रीति रिवाज से मंदिर में आरती उर्फ प्रीती से विवाह किया था। दो माह पहले आरती प्रार्थिनी के पुत्र अभिमन्यु लोधी का रू0 2,00,000/- जो कि ऑटो खरीदने के लिए लाकर रखा था, लेकर घर से भाग गई। फिर उसके बाद प्रार्थिनी के पुत्र पर पुन: 5,00,000/-रुपये देने का दबाव बनाने लगी। प्रार्थिनी का पुत्र अभिमन्यु लोधी मोबाइल फोन द्वारा आरती व विष्णु कुमार राठौर उर्फ मंगरू पुत्र स्व० रामआसरे निवासी नेहरू नगर, लखनऊ और राजकुमार निवासी अज्ञात ने मिलकर प्रार्थिनी के पुत्र अभिमन्यु लोधी पर एक हफ्ते से लगातार टेक्स्ट मैसेज द्वारा मानसिक दबाव बनाते रहे और कहा कि हम सभी लोग मिलकर झूठे मुकदमे में फर्जी फंसा देंगे जिसकी वजह से प्रार्थिनी के पुत्र अभिमन्यु लोधी ने दिनांक 12.04.2025 को रात्रि में लगभग 1.30 बजे फांसी लगी ली जिससे प्रार्थिनी के पुत्र अभिमन्यु लोधी की मृत्यु हो गई। जिसके सम्बन्ध में थाना आलमबाग लखनऊ में मु0अ0सं0 66/25 धारा 108 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

02-अपराध का तरीका-

अभियुक्त/अभियुक्ता द्वारा वादिनी के पुत्र को आत्महत्या करने के लिए उकसाना।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. विष्णु कुमार राठौर पुत्र राम आसरे राठौर निवासी 268/521 नेहरु नगर मवैया राजेन्द्रनगर लखनऊ उम्र करीब 41 वर्ष
2. श्रीमती आरती पत्नी अभिमन्यु लोधी निवासी 281/53 मवैया लखनऊ उम्र करीब 28 वर्ष

04- बरामदगी-

1. जामा तलाशी से प्राप्त 01 अदद वीवो 14 फन टच मोबाइल (अभियुक्ता के पास से)
2. जामा तलाशी मे पैंट से 01 अदद मोबाइल बरामद (अभियुक्त के पास से)

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 शिल्पी देवी थाना आलमबाग लखनऊ
2. उ0नि0 अभिषेक द्विवेदी थाना आलमबाग लखनऊ
3. का0 सौरभ कुमार थाना आलमबाग लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1011
दिनांक- 05.05.2025

जोन- उत्तरी / अलीगंज

- **01 शातिर चोर/अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **कब्जे से चोरी का 01 अदद ई-रिक्शा बरामद किया गया ।**

01-संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 05.05.2025 को थाना स्थानीय की पुलिस टीम देखभाल क्षेत्र, रोकथाम जुर्म जरायम, शान्ति व्यवस्था में मामूर होकर गस्त करते हुए अलीगंज स्थित मिर्जाबाग चौराहे के पास मौजूद थे कि मुखविर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि चोरी का ई-रिक्शा सांई मन्दिर की तरफ से आ रहा है, इस सूचना पर विश्वास करके पुलिस टीम द्वारा मुखबिर को साथ लेकर उसके बताए हुए स्थान सांई मन्दिर की तरफ से आता हुआ ई-रिक्शा दिखाई दिया मुखबिर द्वारा बताया गया कि साहब यह वही लड़का है जो ई-रिक्शा लेकर आ रहा है और मुखबिर वहां से चला गया। पुलिस टीम द्वारा एक बारगी घेर-घार कर उस व्यक्ति को ई-रिक्शा के साथ पकड़ लिया गया, तथा नाम पता पूछते हुए भागने का कारण पूछा तो अपना नाम रमन गुप्ता पुत्र प्रमोद गुप्ता नि0 ग्राम सैंदर पोस्ट खिंजना थाना घुंघटेर जनपद बाराबंकी हाल पता ऑफीसर कालोनी आदिलनगर कल्याणपुर थाना गुडम्बा जनपद लखनऊ उम्र 22 वर्ष बताया तथा भागने का कारण चोरी का ई-रिक्शा होना बताया पुलिस टीम द्वारा बरामद ई-रिक्शा संख्या UP 32 YN 3047 के सम्बन्ध में थाना जानकीपुरम लखनऊ से जानकारी की गयी तो उक्त ई-रिक्शा के सम्बन्ध में थाना जानकीपुरम लखनऊ मे मु0अ0सं0- 073/2025 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत है। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 110/2025 धारा 317(2) बीएनएस पंजीकृत करते हुए अभि0 उपरोक्त को दिनांक 05.05.2025 को मिर्जाबाग चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। अभि0 उपरोक्त के विरूद्ध पंजीकृत अन्य अभियोगो के बारे मे जानकारी करते हुए अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-अपराध का उद्देश्य:-

चोरी करना।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1.रमन गुप्ता पुत्र प्रमोद गुप्ता नि0 ग्राम सैंदर पोस्ट खिंजना थाना घुंघटेर जनपद बाराबंकी हाल पता ऑफीसर कालोनी आदिलनगर कल्याणपुर थाना गुडम्बा जनपद लखनऊ उम्र 22 वर्ष(व्यवसाय-लाइट का काम।)

04-पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0 110/25 धारा 317(2) बीएनएस थाना अलीगंज जनपद लखनऊ।

05-अनावरित अभियोग:-

1.मु0अ0सं0 073/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना जानकीपुरम जनपद लखनऊ।

06-आपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0सं0 318/2021 धारा 41/411 भादवि थाना गुडम्बा जनपद लखनऊ।

2.मु0अ0सं0 343/2021 धारा 379/411 भादवि थाना मड़ियांव जनपद लखनऊ।

07-बरामदगीः-

- 01 अदद ई-रिक्शा संख्या UP 32 YN 3047 चेचिस नं0 M22YCESU24L32488

08-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1.म0उ0नि0 प्रगति सिंह

2.का0 विनोद कुमार सरोज

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1013

दिनांक-05.05.2025

जोन-पूर्वी/थाना-बीबीडी

- **दो-पहिया वाहन चोरी करने वाला 01 नफर शातिर चोर/अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **कब्जे से चोरी की 01 अदद मोटर साइकिल UP 32MY4048 बरामद।**

01-संक्षिप्त विवरण –

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय लखनऊ के निर्देशानुसार में श्रीमान संयुक्त पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार में श्रीमान पुलिस उपायुक्त महोदय पूर्वी के निर्देशन में श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त महोदय पूर्वी के कुशल पर्यवेक्षण तथा श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त विभूतिखण्ड के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना बीबीडी लखनऊ के कुशल नेतृत्व में दिनाँक 05.05.2025 को चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति वस्तु/वाहन तलाश वांछित/वारण्टी के मुकदमे में वांछित अभियुक्तगण/अपराध एवं अपराधियो के रोकथाम के दौरान उ0नि0 श्री मंयक राय मय हमराही अधि0/कर्मचारीगण के मोटर साइकिल चोरी करने वाला 01 नफर अभियुक्त को इमली बांधन मन्दिर पास से गिरफ्तार किया गया।

जिसके कब्जे से चोरी के मोटर साइकिल UP32 MY 4048 बरामद किया गया तथा अभियुक्त मस्तराम यादव जो कि थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 96/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस में गिरफ्तार किया गया।

02-अपराध का संक्षिप्त विवरण:-

वादी श्री हंसराज पुत्र सुन्दर लाल के लिखित तहरीर के आधार पर दिनांक 03.05.2025 को थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी की मोटर साइकिल UP32 MY4048 चोरी कर लेने के सम्बन्ध में -

03-अनावरित अभियोगो का विवरण:-

01. मु0अ0सं0 96/2025 धारा 303(2) / 317(2) बीएनएस थाना बीबीडी लखनऊ।

04-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01.मस्तराम यादव पुत्र रामरतन यादव निवासी ग्राम हरिगंवा तहसील संडीला थाना अतरौला जनपद हरदोई उम्र करीब-26 वर्ष।

05-बरामदगी -

- 01 अदद मोटर साइकिल UP 32 MY 4048

06-गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम का विवरण-

01.उ0नि0 श्री मंयक राय थाना बीबीडी लखनऊ।

02.उ0नि0 श्री राघवेन्द्र पाण्डेय थाना बीबीडी लखनऊ।

03.उ0नि0 श्री रामलाल राम थाना बीबीडी लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1007
दिनांक-05.05.2025

जोन- पूर्वी/ थाना- गोमतीनगर

- **बाइक सवार शातिर बदमाशों के साथ क्राइम टीम, पूर्वी व थाना गोमतीनगर पुलिस की हुयी मुठभेड।**
- **जवाबी कार्यवाही में 02 बदमाश घायलावस्था में गिरफ्तार।**
- **कब्जे से अवैध असलहा, कारतूस, नगदी व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद।**
- **बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 184/2025 , 185/2025 धारा 109 बीएनएस, व धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना स्थानीय पर पंजीकृत ।**
- **लूट/छिनैती के दर्ज मुकदमों से सम्बन्धित 10700 रूपये व घटना में प्रयुक्त मोटरसाईकिल भी बरामद ।**
- **गिरफ्तार अभियुक्तगणों पर लूट एवं चोरी के कई मुकदमें थाना गोमतीनगर व जनपद लखनऊ के अन्य थानों पर हैं दर्ज ।**

1- सक्षिप्त विवरणः-

थाना स्थानीय पर आज दिनांक 5.5.2025 को पुलिस मुठभेड़ व फर्द बरामदगी/गिरफ्तारी के आधार पर मु0अ0सं0 184/2025 व मु0अ0सं0185/2025 धारा 109 बीएनएस, व धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना स्थानीय पर पंजीकृत किया गया।

2- कार्यवाही का विवरणः-

आज दिनांक 05.5.2025 को थाना पुलिस टीम द्वारा रात्रि गश्त, संदिग्ध व्यक्तियों व वाहन की चेकिंग की जा रही थी कि एक बिना नम्बर प्लेट की मोटरसाइकिल जिस पर दो व्यक्ति सवार थे को सहारा पुल के पास चेकिंग हेतु रोका गया तो बाइक सवार व्यक्तियों ने मोटरसाइकिल भगाते हुये आक्रामक होकर पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी ।

आत्मरक्षार्थ हेतु पुलिस टीम द्वारा फायर की गयी जिससे एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी एवं दूसरा व्यक्ति भाग गया । भागे हुये व्यक्ति को पुलिस टीम द्वारा पीछा किया गया तो दूसरे व्यक्ति ने भी पुलिस टीम पर फायर किया । जिसके बचाव में पुलिस टीम द्वारा भी फायर किया गया एवं दूसरे व्यक्ति के पैर में लगी।

दोनो व्यक्तियो को हिरासत पुलिस में लिया गया एवं पूछताछ पर अभियुक्तगणो की पहचान 1- महेश रावत पुत्र रघुनाथ रावत पता चिनहट एलपीएस स्कुल के पीछे जुग्गी झोपडी मूल पता दुबहा थाना इकौना जिला श्रावस्ती उम्र 20 वर्ष 2- मोनू राजपूत पुत्र शम्भर राजपूत निवासी चन्दन हास्पीटल के पीछे विजन्त खंड थाना विभूतिखंड लखनऊ मूल पता बडागांव लोधनपुरवा थाना हुसुरपुर जिला बहराइच उम्र 23 वर्ष के रूप में हुयी ।

अभियुक्त महेश रावत से 01 देशी तमंचा .315 बोर , 01 अदद खोखा कारतूस एवं एक अदद लेडीज पर्स तथा 5500 रुपये नगद व अभियुक्त मोनू रावत से 1 अदद देशी तंमचा .315 बोर, 01 अदद खोखा कारतूस ,एक अदद लैडिज पर्स व 5200/-रुपये बरामद किये गये तथा घटना में प्रयुक्त बिना नम्बर प्लेट गाडी स्पेलन्डर प्लस मोटरसाईकिल बरामद की गयी ।

पुलिस मुठभेड़ व फर्द बरामदगी/गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 184/2025 व 185/2025 धारा 109 बीएनएस, व धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना स्थानीय पर पंजीकृत किया गया।

अभियुक्तगण से पूछताछ पर ज्ञात हुआ कि थाना क्षेत्र के विवेकखण्ड से दिनांक 28.4.2025 को एक महिला से पर्स छिनैती व दिनांक 30.4.2025 को विपुल खण्ड से एक महिला से पर्स छिनैती की घटनाओं इनके द्वारा कारित की गयी थी। जिनके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर क्रमशः मु0अ0सं0 177/2025 धारा 304(2) बीएनएस व मु0अ0सं0 181/2025 धारा 304(2) बीएनएस थाना स्थानीय पर पंजीकृत किये गये थे।

अभियुक्तगण उपरोक्त शातिर किस्म के लुटेरे/चोर हैं जिनके विरुद्ध थाना स्थानीय एवं जनपद के अन्य थानों पर कई मुकदमें पंजीकृत हैं।

3- गिरफ्तार/घायल अभियुक्तगण का विवरण—

1- महेश रावत पुत्र रघुनाथ रावत पता चिनहट एलपीएस स्कुल के पीछे जुग्गी झोपडी मूल पता दुबहा थाना इकौना जिला श्रावस्ती उम्र 20 वर्ष

2- मोनू राजपूत पुत्र शम्भर राजपूत निवासी चन्दन हास्पीटल के पीछे विजन्त खंड थाना विभूतिखंड लखनऊ मूल पता बडागांव लोधनपुरवा थाना हुसुरपुर जिला बहराइच उम्र 23 वर्ष

4-अनावरित अभियोगों का विवरणः-

1-मु0अ0सं0 177/25 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस थाना गोमती नगर जनपद लखनऊ।
2- मु0अ0सं0 181/25 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस थाना गोमती नगर जनपद लखनऊ।
3- मु0अ0सं0 184/2025 धारा 109 बीएनएस, व धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना गोमती नगर जनपद लखनऊ।
4-मु0अ0सं0 184/2025 धारा 109 बीएनएस, व धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना गोमती नगर जनपद लखनऊ।
5- मु0अ0स0 355/25 धारा 309(4) बीएनएस थाना कोतवाली जनपद बारबंकी

5-अभियुक्त महेश रावत से बरामदगीः-

1- 01 देशी तमंचा .315 बोर (मु0अ0सं0 184/2025 से सम्बन्धित थाना गोमतीनगर से सम्बन्धित)
2- 01 अदद खोखा कारतूस (मु0अ0सं0 184/2025 से सम्बन्धित थाना गोमतीनगर से सम्बन्धित)
3- एक अदद लेडीज पर्स व 5500 रुपये नगद (मु0अ0सं0 177/25 व 181/2025 थाना गोमतीनगर से सम्बन्धित 3500 रुपये व 2000 रुपये मु0अ0सं0 355/2025 थाना कोतवाली बाराबंकी से सम्बन्धित)
4- मोटरसाईकिल स्पेलन्डर प्लस बिना नम्बर प्लेट

6-अभियुक्त मोनू राजपूत से बरामदगी-

1- 1 अदद देशी तंमचा .315 बोर (मु0अ0सं0 185/2025 से सम्बन्धित थाना गोमतीनगर से सम्बन्धित)
2- 01 अदद खोखा कारतूस (मु0अ0सं0 185/2025 से सम्बन्धित थाना गोमतीनगर से सम्बन्धित)
2- एक अदद लैडिज पर्स व कुल 5200 रुपये (मु0अ0सं0 177/25 व 181/2025 थाना गोमतीनगर से सम्बन्धित 3200/- रुपये व 2000/-रुपये मु0अ0सं0 355/2025 थाना कोतवाली बाराबंकी से सम्बन्धित)

7-आपराधिक इतिहास अभियुक्त महेश रावत उपरोक्त-

1-मु0अ0सं0 177/25 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस थाना गोमती नगर जनपद लखनऊ।
2- मु0अ0सं0 181/25 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस थाना गोमती नगर जनपद लखनऊ।
3- मु0अ0स0 355/25 धारा 309(4) बीएनएस थाना कोतवाली जनपद बारबंकी
4- मु0अ0सं0 184/2025 धारा 109 बीएनएस, व धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना गोमती नगर जनपद लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1010
दिनांक-05.05.2025

जोन- उत्तरी/ थाना-इटौंजा

- **01 नफर वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-सक्षिप्त विवरण:-

माननीय न्यायालय श्रीमान विशेष अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सी0बी0आई0(अ0प्र0)लखनऊ द्वारा जारी एनबीडब्लू सम्बन्धित वाद संख्या 574/14 अ0सं0 165/14 धारा 323/504 भादवि से सम्बन्धित 01 नफर वारंटी अभियुक्त रंजीत पुत्र मल्हा निवासी ग्राम जमखनवा थाना इटौंजा जनपद लखनऊ उम्र करीब 40 वर्ष को उसके घर से गिरफ्तारी अधिपत्र से अवगत कराते हुए थाना इटौंजा पुलिस टीम द्वारा दिनांक 05.05.2025 को हिरासत पुलिस लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-अपराध का तरीका-

अभियुक्त द्वारा मारपीट गाली गलौज करना।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. रंजीत पुत्र मल्हा निवासी ग्राम जमखनवा थाना इटौंजा लखनऊ उम्र करीब 40 वर्ष(व्यवसाय- खेती)

05-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री धीरेन्द्र राय
2. का0 राहुल चौधरी

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1008
दिनांक-05.05.2025

जोन- उत्तरी/ थाना-माल

- **01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमंचा 0.315 बोर व 01 अदद जिन्दा मिसफायर कारतूस बरामद।**

01-संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 05.05.2025 को उ0नि0 गिरीश दत्त पाण्डेय मय हमराही पुलिस बल केतलाश/ वांछित वारण्टी के कस्बा नवीपनाह में मामूर थे कि नवीपनाह पान की गुमटी के पास एक व्यक्ति खड़ा दिखायी दिया जो हम पुलिस वालो को देखकर इधर-उधर जाने लगा । व्यक्ति संदिग्ध प्रतीत होने पर उसकी पूछताछ की गयी तो उसने अपना नाम हिमांशू रावत पुत्र विजय बहादुर नि0 ग्राम ढकवा थाना मलिहाबाद बताया जामा तलाशी ली गयी उसके पैण्ट के बांयी जेब से एक अदद अवैध तमन्चा 0.315 बोर व दांयी जेब से एक अदद जिन्दा मिसफायर कारतूस 0.315 बोर बरामद हुआ । अवैध तमंचा रखने के सम्बन्ध में लाइसेन्स मांगा गया तो दिखाने से कासिर रहा अभियुक्त हिमांशू उपरोक्त को उसके कारण गिरफ्तारी से अवगत कराते आज दिनांक 05.05.2025 को पुलिस हिरासत में लिया गया । जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 100/25 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

02-पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 100/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना माल(अवैध तमंचा रखने के सम्बन्ध में) ।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः

1-हिमान्शू रावत पुत्र विजय बहादुर नि0 ग्राम ढकवा थाना मलिहाबाद लखनऊ उम्र 18 वर्ष (व्यवसाय-खेती) ।

04-बरामदगी-

- 01 अदद अवैध तमंचा 0.315
- 01 अदद जिन्दा मिसफायर कारतूस 0.315 बोर ।

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री गिरीश दत्त पाण्डेय
2. का0 जसवीर सिंह

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1014
दिनांक: 05.05.2025

जोन- मध्य/ थाना-मदेयगंज

- **वादिनी/पीड़िता को शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने के वांछित आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 04.05.2025 को वादिनी मुकदमा उपस्थित थाना हाजा आकर बावत नामित अभियुक्त द्वारा वादिनी को शादी का झाँसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाना व वादिनी की बहन से अभद्र तरीके से बात करने के सम्बंध मे दाखिल किया। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 071/2025 धारा 69/352 बीएनएस बनाम सूर्यभान निषाद के पंजीकृत किया गया।

आज दिनांक 05.05.2025 को थाना मदेयगंज की पुलिस टीम थाना स्थानीय से प्रस्थान कर मुकदमा उपरोक्त के नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी/तलाश पतारसी सुरागरसी में डालीगंज क्रासिंग मामूर थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि साहब आपके मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त सूर्यभान निषाद टीजी हास्टल से निकलकर टीजी हास्टल कट की तरफ जा रहा है।

मुखबिर की सूचना के आधार पर बताये गये स्थान से उस व्यक्ति को पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति ने अपना नाम सुर्यभान निषाद पुत्र स्व0 सुग्रीम निषाद निवासी रानीपुर बाबू पोस्ट कछिया थाना गौर जिला बस्ती हाल पता कमरा नं0 517 टीजी हास्टल केजीएमयू खदरा थाना मदेयगंज लखनऊ उम्र करीब 29 वर्ष बताया गया। पकड़े गये व्यक्ति को उसके द्वारा कारित जुर्म अन्तर्गत धारा 69/352 बीएनएस0 से अवगत कराते हुए हिरासत पुलिस में लिया गया।दौरान गिरफ्तारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों/निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया। विधिक कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य थाना व जनपद से जानकारी की जा रही है।

02-अपराध का तरीका-

अभियुक्त द्वारा शादी का झांसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाने व वादिनी की बहन से अभद्र तरीके से बात करने के सम्बंध मे

03-पंजीकृत अभियोग-

1.मु0अ0सं0 71/2025 धारा 69/352 बीएनएस

04-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1.सूर्यभान निषाद पुत्र स्व0 सुग्रीम निषाद निवासी रानीपुर बाबू पोस्ट कछिया थाना गौर जिला बस्ती हाल पता कमरा नं0 517 टीजी हास्टल केजीएमयू खदरा थाना मदेयगंज लखनऊ उम्र करीब 29 वर्ष

05-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

1. व0उ0नि0 रामदास थाना मदेयगंज जनपद-लखनऊ
2. उ0नि0 विनोद कुमार थाना मदेयगंज लखनऊ
3. का0 रोहित कुमार थाना मदेयगंज लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1009
दिनांक- 05.05.2025

जोन-उत्तरी/ थाना-रहीमाबाद

- **थाना रहीमाबाद पुलिस टीम द्वारा 01 अदद जेसीबी व 01 अदद ट्रैक्टर बरामद किया गया।**

01-संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 04/05.05.2025 की रात्रि उ0नि0 इन्द्रजीत सिंह मय वाहन जीप UP65 AG 0427 मय चालक का0 मनोज कुमार सागर के देखभाल क्षेत्र में मामूर होकर समय करीब 02.30 बजे ग्राम मवईकलां थाना क्षेत्र रहीमाबाद पहुँचे तो देखा कि एक खेत में 01 अदद लावारिश JCB वाहन सं0- UP35 BT 3934 व चेसिस नं0- HAR3DXS4C03276269 जिसका रंग पीला व 01 अदद लावारिश ट्रैक्ट्रर JOHN DEERE ईजंन सं0- PY3029D698901 व बॉडी नं0- DZ102791 जिसका रंग हरा मय ट्राली (बिना नंबर के) (जिसमें मिट्टी भरी हुई थी) के लावारिस हालत में खड़ी मिली उपरोक्त दोनों वाहनों के सम्बन्ध में काफी जानकारी की गयी परन्तु किसी के द्वारा उपरोक्त वाहनों के सम्बन्ध में कोई जानकारी न होना बताया गया।

मौके पर ऐसा प्रतीत हुआ है कि उक्त दोनो वाहनों के द्वारा अवैध खनन किया जा रहा था उक्त के संबंध में खनन अधिकारी महोदय तथा सम्भागीय अधिकारी महोदय को अलग से रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है। मौके से 01 अदद लावारिश JCB वाहन सं0- UP35 BT 3934 व चेसिस नं0- HAR3DXS4C03276269 जिसका रंग पीला व 01 अदद लावारिश ट्रैक्ट्रर JOHN DEERE ईजंन सं0- PY3029D698901 व बॉडी नं0- DZ102791 जिसका रंग हरा मय ट्राली (बिना नंबर के) (जिसमें मिट्टी भरी हुई है) को उचित माध्यम से थाना परिसर में खड़ा कराया गया। उपरोक्त के सम्बन्ध में अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-बरामदगी का विवरणः-

1. 01 अदद लावारिश JCB वाहन सं0- UP35 BT 3934 व चेचिस नं0- HAR3DXS4C03276269 रंग पीला।
2. 01 अदद लावारिश ट्रैक्ट्रर JOHN DEERE ईजंन सं0- PY3029D698901 व बॉडी नं0- DZ102791 रंग हरा मय ट्राली (बिना नंबर के)।

03-गिरफ्तार/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 इन्द्रजीत सिंह

2.आरक्षी मनोज कुमार